

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 228 / 2014.....जिला.....श्रीगंगानगर.....
 उनवान-मैसर्स खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, प्रा.लि., श्रीगंगानगर बनाम् सहायक आयुक्त,
 प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर।


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2014	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक <u>22.01.2014</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(6) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 के नियम 35 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.2013 के जरिये कायम की गयी रिवर्स कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां <u>रु010,61,922/-</u> की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को विवादित कर सुनवायी के दौरान <u>रु0 10,61,922/-</u> की बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक <u>06.03.2014</u> को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन, उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जरिये वैट इन्वॉसेज़ के कय की गयी वस्तुयें यथा:- "सरसों व पूंजीगत वस्तुयें" को अधिनियम की धारा 18(2) के तहत इन्वॉसेज़ को समयाविध में प्रस्तुत करने अथवा नहीं करने के कारण आगत कर का मुजरा स्वीकार किये जाने अथवा अस्वीकार किये जाने का महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अन्तर्वर्लित है । अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कायम मांग <u>रु0 10,61,922/-</u> की वसूली पर रोक</p> <p align="right">लगातार.....2</p>	


10.03.2014

लगायी जाती है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप इस आदेश प्राप्त के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से दो माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


10.3.2014
(मदन लाल)
सदस्य


(जे.आर.बोहिया)
10/03/2014
सदस्य